न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
31/दावा/2024	02.05.2024	27.01.2025

1. महावीर प्रसाद आ0 सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा–अरनेठा स्टेशन तहसील के0पाटन बून्दी

......वादी

बनाम

1. कान्तीप्रकाश आ0 सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा–अरनेठा स्टेशन तहसील के0पाटन बून्दी
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी राज0

........प्रतिवादीगण

वाद :– बटवांरा भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अर्न्तगत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादी की ओर से श्री गोविन्द शर्मा
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अजय जैन

वादी निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि :–

1. यह की कृषि भूमि खाता संख्या नयी 93 पुरानी 91 की कृषि भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 254 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 1.27 है0, खसरा संख्या 338 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 347/508 रकबा 0.27 है0, खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.99 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा पटवार क्षैत्र बलकासा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है।
2. यह कि उक्त वर्णित भूमि में नामान्तकरण संख्या 331 के अनुसार 1/3 हिस्सा पर वादी, 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/3 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सूरजमल आ0 देवीराम दर्ज खातेदार थे। सूरजमल जी का देहान्त वर्ष 2020 में होने उपरान्त उनके सभी वारिसान द्वारा वादी के पक्ष में खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0 रिलीज करने उपरानत 2/3 हिस्सा वादी एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज खातेदार है। इसी तरह शेष खसरा नम्बरान खसरा संख्या 57 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 254 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 1.27 है0, खसरा संख्या 338 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 347/508 रकबा 0.27

Scanned with OKEN Scanner

है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज करने उपरान्त 2/3 हिस्सा कान्तीप्रकाश प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/3 हिस्सा वादी का शेष रहा है जो उपरोक्त बाहमी बंटवारा को मान्यता प्रदान करता है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अपने पिता सूरजमल के जीवनकाल में ही वर्ष 1996 में बाहमी बंटवारा कर लिया गया है, जिसके अनुसार खसरा संख्या 455 रकबा 1.48 जो अब 1.39 है0 दर्ज है, खसरा संख्या 254 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 347/508 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 भूमि वादी को दी गई है जिसमें से भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0 में वादी ने वर्ष 1996 में ही मकान बनाकर मय परिवार के निवास करता चला आ रहा है जिसमें विद्युत कनेक्शन भी वादी ने ले रखा है तथा हिस्से में प्राप्त भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है।

4. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का देहान्त वर्ष 2020 में हो चुका है तथा रिकार्ड में दर्ज अन्य वारिसान ने वादी व प्रतिवादी के पक्ष में रिलीज करके उक्त बाहमी बंटवार को मान्यता दे दी गई है। किन्तु अभी भी जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम सामलाती दर्ज चला आ रहा है।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्णित आराजी भूमि में से खसरा संख्या 57 रकबा 0.76 है0, खसरा संख्या 331 रकबा 1.27 है0, खसरा संख्या 338 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.04 है0 भूमि प्रमिवादी को उक्त बाहमी बंटवारा के समय दी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को मकान बनाने हेतु वादी ले 12,000/– अक्षरे बारह हजार रूपये मान नकद प्रतिवादी संख्या 1 को दिये गये है, इस तरह बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है।

6. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार भूमि बंटवारा करने बाबत अनुरोध किया किन्तु सदैव प्रतिवादी संख्या 1 टालम टोल करते रहे तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 के बदनियती आ गई है तथा वादी द्वारा कच्चा मकान के स्थान पर पक्का मकान बनाने उपरान्त व हिस्से में प्राप्त भूमि खसरा संख्या 455 में बोरिंग ओद लगाकर मूल्यवान बना देने उपरान्त राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज होने का दुरूपयोग करे भूमि बैचान की धमकी दे रहे है। इस उद्वेश्य की पूर्ति में करीब 8 दिन पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 वादी के घर पर धमकी देकर गया है कि इस भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0 में से मेरा 1/3 हिस्सा दर्ज है को बैचान करके रहूंगा धमकी दी गई है।

7. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में से बाहमी तौर पर किये गये बंटवारा अनुसार जो वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0, खसरा संख्या 254 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 347/508 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 का बंटवारा करवाकर

Scanned with OKEN Scanner

अलग जमाबंदी दर्ज करवा सकें तथा प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि रहन, बैचान नहीं करने हेतु भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सकें।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार निर्णय व डिक्री किया जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का वर्ष 1996 में किये गये बाहमी बंटवारा जो वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित है के अनुसार वादी की भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 1.39 है0, खसरा संख्या 254 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 347/508 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 वाके माल लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का बलकासा का बंटवारा किया जाकर सामलाती जमाबंदी से अलग जमाबंदी दर्ज करने का आदेश व बंटवारा की डिक्री जारी की जावें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री कर बंटवारा करने हेतु निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को पृथक–पृथक सम्बंधित अधिवक्ता के द्वारा आईडेन्टीफाईड किया तथा दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामें में वर्णित तथ्यों व विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर तदानुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.06.2024 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– : : निर्णय : : –

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। अतः वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत निम्न बंटवारा राजीनामा प्रस्ताव आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दीवानी संहिता के प्रावधान अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता है:–

वादी:– महावीर प्रसाद आ0 सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा–अरनेठा स्टेशन	खसरा संख्या	रकबा	में से	वाके ग्राम व माल
	254	0.29 है0	सम्पूर्ण	लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का बलकासा
	331	1.27 है0	0.50 है0 पूर्व दिशा	
	347/508	0.27 है0	सम्पूर्ण	
	455	1.39 है0	0.93 है0 दक्षिण दिशा	
प्रतिवादी संख्या 1:– कान्तीप्रकाश आ0 सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा–अरनेठा स्टेशन	57	0.76 है0	सम्पूर्ण	
	331	1.27 है0	0.77 है0 पश्चिम दिशा	
	338	0.01 है0	सम्पूर्ण	
	455	1.39 है0	0.46 है0 उत्तर दिशा	

अतः वाद वादी निम्न राजीनामे के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा मूल डिक्री का भाग होगा। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner